

**मूल वाद में डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )  
न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला—उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

**उनवान**

1. श्री भगवान पिता उदा मेघवाल निवासी ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**मुकदमा न0 : 07/21 (वाद) GCMS No. – 2021/12**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(FT) मावली

